



18/11

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1361/05/76/एक/2015-16
सेवा में,

दिनांक : 6 जुलाई 2015

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-गोण्डा।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख ₹ में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010011307817	IFSC Code UTIB0000758	₹ 202.634

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
1	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 21 मो० कसगरान में बसअड्डा चौराहा पुलिस चौकी में रफीक चूडी के दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	3.198
2	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 02 सकरौरा पश्चिमी में सकरौरा चौराहा से अस्पताल मोड़ तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.397
3	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 09 भैरवनाथ पुरवां में विनोद कुमार के मकान से डा० अफजल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.460
4	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 09 भैरवनाथ पुरवां में ईदगाह रोड त्रिलोकी पाण्डेय के मकान से सिद्दीकी राईनी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.659
5	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज पश्चिमी में गायत्री निवास से मदन हलवाई के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.665
6	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज में शिव भगवान के घर से विनोद सोनी के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.985
7	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 17 गाड़ी बाजार पश्चिमी में हनीफ मिस्त्री के घर से जीमल बाबा के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	1.472
8	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 04 गाड़ी बाजार पूर्वी में कटरा सी०सी० रोड से अरबन टाल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	14.925
9	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज पश्चिमी में हनुमान सोनार के घर से जितेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.344
10	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 23 सदर बाजार आशिक पूर्वी में तहसील तिराहा से वसीम की दुकान होते हुए पी०डब्लू०डी० डाक बंगला तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.659



18/12

दूरभाष- 2286709

2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
11	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 04 गाड़ी बाजार पूर्वी में कटरा रोड राधे कुम्हार से जन्नू आरा मशीन तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.397
12	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 06 बम्पुलुस में सबरू चौराहा से माध्यमिक विद्यालय तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.595
13	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज पश्चिमी में कासिम फूडवियर से राहुल ज्वैलर्स तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	5.329
14	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 23 सदर बाजार आशिक पूर्वी में तहसील चौराहा से यतीम खाना पुलिया तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.665
15	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 23 सदर बाजार आशिक पूर्वी में सी०ओ० आवास से परसपुर रोड तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	8.528
16	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 06 बम्पुलुस में सकरौरा चौराहा से कुन्नु चिकवा होते हुये अस्पताल मोड़ तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	7.460
17	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 20 मो० बालूगंज में सबरू चौराहा से वारिस टेलर से होते हुये असलम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	8.528
18	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 24 सदर बाजार आशिक पश्चिमी में मिश्रा मेडिकल स्टोर से गनी गल्ला वाले के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.262
19	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 24 सदर बाजार आशिक पश्चिमी में जय अम्बे होजरी के सामने से अन्दर गली में होते हुये हनुमान प्रसाद गोपाल दास के सामने तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.131
20	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 08 सकरौरा पूर्वी आशिक में रसीद अहमद के मकान से शब्बीर दर्जी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.665
21	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 20 मो० बालूगंज में सकरौरा चौराहा होते हुये गोस्वामी पशु आहार तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	8.528
22	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 मो० बालूगंज पश्चिमी में साई मैचिंग सेंटर से पीपल पेड़ तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.558
23	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 09 भैरवनाथ पुरवां में पिन्डू बाबा के मकान से दर्शन पंजाबी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.397
24	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 19 में न्यू मेडिकल स्टोर से अरमान टेलर्स तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.131
25	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 06 बम्पुलुस में पुरानी सब्जी मण्डी पुलिया से डा० शकील खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	10.659
26	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०प० करनैलगंज	वार्ड नं० 10 गाँधीनगर सरफराजगंज में भैरव बाबा से जुबेर भाई खुटिया की दुकान तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	4.262



181/3

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
27	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 करनैलगंज	वार्ड नं0 04 गाड़ी बाजार पूर्वी में सिराज के दुकान से अरबन टाल तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	14.925
28	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पा0प0 करनैलगंज	वार्ड नं0 24 सदर बाजार आंशिक पश्चिमी में सरीक बाबा के मकान से शानू जनरल स्टोर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.344
30	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 ठाकुरगंज वार्ड नं0 8 में गोपाल कलवार की दुकान से फलाहारी बाबा कुट्टी के परिसर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.834
30	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 दर्जीपूवी वार्ड नं0 10 में सडक से सरस्वती शिशु मन्दिर परिसर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	1.001
31	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 दर्जा पूर्वी वार्ड नं0 9 में रफफू के प्लाट से ईदगाह परिसर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	8.336
32	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 कटहरिया उत्तरी वार्ड नं0 01 में बस स्टाफ से श्री गौंधी आदर्श इण्टर कालेज के परिसर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	6.668
33	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 कटहरिया दक्षिणी वार्ड नं0 03 में मालवीय कमलाकर संस्कृत विद्यालय से हनुमान मन्दिर के सामने से होते हुए मरघट तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	9.167
34	गोण्डा	अल्पसंख्यक-37 बजट	न0पं0 खरगपुर	मो0 कटहरिया उत्तरी वार्ड नं0 01 में बस स्टाफ से प्राइमरी स्कूल परिसर तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	2.500
	योग				202.634

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 5- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 6- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।



181/4

दूरभाष- 2286709
2286710

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 7- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 8- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 9- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 10- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- 11- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दौरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 12- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक